न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या : 61/2024
दायर दिनांक : 18/07/2024
निर्णय दिनांक : 05/08/2024

उनवान

1. मोहनदास पिता चम्पा दास बैरागी निवासी सिंहपुर, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़
2. श्यामदास पिता चम्पा दास बैरागी निवासी सिंहपुर, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़
3. मु. भगवानी पुत्री चम्पा दास बैरागी निवासी सिंहपुर, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़
4. सोहनीबाई पुत्री चम्पा दास बैरागी निवासी सिंहपुर, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

वादीगण

बनाम

1. माधवदास पिता गणेशदास बैरागी, निवासी सिंहपुर फौत के बजाय –
   1/1 पंकज कुमार पिता स्व. माधवदास वैष्णव, जाति बैरागी निवासी सिंहपुर तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़
   1/2 पवन कुमार पिता स्व. माधवदास वैष्णव, जाति बैरागी निवासी सिंहपुर तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़
   1/3 रामप्रसाद पिता स्व. माधवदास वैष्णव, जाति बैरागी निवासी सिंहपुर तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़
   1/4 कृष्णा कान्ता बाई पत्नी स्व.माधवदास वैष्णव बैरागी, निवासी सिंहपुर तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़
2. रामेश्वदास पिता गोपीदास जाति बैरागी, निवासी सिंहपुर, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
3. रतनी बाई पुत्री गोपीदास पत्नी रतनदास जाति बैरागी, निवासी– घटियावली तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
4. बंशीदास पिता प्यारादास जाति बैरागी, निवासी सिंहपुर, तहसील कपासन फोत के बजाय –
   4/1 केशर बाई पत्नी स्व.बंशीदास जाति बैरागी, निवासी सिंहपुर, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
5. भैरूदास पिता प्यारादास जाति बैरागी, निवासी सिंहपुर, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
6. बद्रीदास पिता प्यारादास जाति बैरागी, निवासी सिंहपुर, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
7. मोहनी पुत्री प्यारादास पत्नी मोहनदास, जाति बैरागी, निवासी सिंहपुर, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
8. शंकरदास पिता लेहरूदास बैरागी, जाति बैरागी, निवासी सिंहपुर, तहसील कपासन फोत के बजाये –
   8/1 रतनदास पिता स्व. शंकरदास वैष्णव, जाति बैरागी निवासी सिंहपुर, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
   8/2 मदनलाल पिता शंकरदास वैष्णव, जाति बैरागी निवासी सिंहपुर, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
   8/3 शोभालाल पिता शंकरदास वैष्णव, जाति बैरागी निवासी सिंहपुर, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
   8/4 राजकुमार पिता शंकरदास वैष्णव, जाति बैरागी निवासी सिंहपुर, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
   8/5 संतोषी बाई पिता शंकरदास वैष्णव, जाति बैरागी निवासी सिंहपुर, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
   8/6 सीमाबाई पिता शंकरदास वैष्णव, जाति बैरागी निवासी सिंहपुर, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
   8/7 ऐजीबाई पिता शंकरदास वैष्णव, जाति बैरागी निवासी सिंहपुर, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
9. हगामी बेवा लेहरू दास जाति बैरागी, निवासी सिंहपुर, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (लाऔलाद फोत होने से नाम हटाया गया)
10. नर्मदा पुत्री शोभादास पत्नी सुरेश दास [illegible] चित्तौड़गढ़
11. सुरेश दास पिता बालुदास जाति बैरागी, निवासी सिंहपुर, [illegible] जिला चित्तौड़गढ़
12. रामेश्वदास पिता बालुदास जाति बैरागी, [illegible] चित्तौड़गढ़
13. कैलाशी पुत्री बालुदास पत्नी अर्जुन दास [illegible] बैरागी, निवासी [illegible] तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
14. सीता पुत्री बालुदास पत्नी कैलाश दास [illegible]
15. कमला बाई बेवा बालु दास, जाति बैरागी, [illegible] जिला चित्तौड़गढ़ (फोत प्रतिवादी- सुरेश रामेश्वर कैलाशी सीता प्रतिवादी होने से नाम हटा[illegible]या)
16. प्रह्लाद पिता गोवर्धन लाल न्याती, निवासी कुंभानगर चित्तौड़गढ़
17. अजय आगाल पिता सत्यनारायण आगाल निवासी उपरलापाडा चित्तौड़गढ़
18. मोहम्मद अली पिता मोहम्मद युसुफ जाति मुसलमान निवासी छीपा मोहल्ला चित्तौड़गढ़
19. श्रवण कुमार पिता गोवर्धन लाल न्याती, निवासी कुम्भानगर चित्तौड़गढ़
20. तहसीलदार कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2024.10.28 16:25:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं

21. पटवारी हल्का कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

प्रतिवादी

राजस्व वाद अंतर्गत धारा–88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति :– 1. श्री लक्ष्मीशंकर जाट, अधिवक्ता वादी
2. श्री राकेश पुरी, अधिवक्ता प्रतिवादी

: निर्णय :

प्रकरण श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय के आदेश कमांक/सरिश्ता/एफ–01/(02)2019/382 दिनांक 13.07.2024 से इस न्यायालय को स्थानान्तरित किया जाने से उपखण्ड अधिकारी, कपासन के पत्रांक/सरिश्ता/2024/192 दिनांक 15.07.2024 से स्थानान्तरित होकर पत्रावली न्यायालय हाजा में प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने उपस्थिति दर्ज करायी एवं वादीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। वादीगण की ओर से भी पूर्व अधिवक्ता उपस्थित हुए।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा वादपत्र बाबत खातेदारी घोषणा का दिनांक 30.07.1996 को सहायक कलक्टर, कपासन के यहां इस आशय का पेश किया कि गत पेमाईश की आराजी नं. 2225, 2236, 2261 किता 3 कुल रकबा 22 बीघा 9 बिस्वा ग्राम सिंहपुर तहसील कपासन में स्थित है जो जमाबन्दी संवत् 2032–35 में बालकिशन और चम्पादास बैरागी के खातेदारी मे अंकित थी, इससे पूर्व भी जमाबन्दी में यही अंकन चला आ रहा है। संवत् 2032–35 के बीच उपरोक्त सहखातेदार बालकिशन का देहान्त हो गया जिसका नामान्तरण संख्या 655 दिनांक 22.9.1977 को पंचायत सिंहपुर में आदेशित हुआ और बालकिशन के वारिसान गणेशदास, प्यारदास, लेहरूदास, गोपीदास, छोगादास व बालुदास का नाम दर्ज हुआ। तत्पश्चात पटवार हल्का ने जानबूझकर अथवा गलती से चम्पादास का नाम नही लिखा और केवल मृत बालकिशन के वारिसान का नाम लिखा। रेवेन्यू रेकोर्ड की गलती को सुधारने हेतु आवेदन करने पर पटवार हल्का सिंहपुर ने शुद्धि पत्र तैयार किया। निरीक्षक सिंहपुर ने तस्दीक की और तहसीलदार कपासन ने दिनांक 19.10.1989 को शुद्धि पत्र तैयार किया और आदेश दिया कि संवत् 2039–42 खाता सं. 446 पर चम्पादास पिता रतनदास का नाम दर्ज करने हेतु उक्त विभाग की शुद्धि पत्र की नकल भेजी गई । सहायक भू प्रवन्धक अधिकारी ने दिनांक 30.11.1989 को चम्पादास पिता रतनदास का देहान्त हो जाने से चम्पादास के बजाय वादीगण का नाम उनके स्थान पर दर्ज करने हेतु नामान्तरण आदेशित किये और उसका अमल दरामद संवत् 2039–2042 की जमाबन्दी में किया गया। नई पेमाईश में नवीन आराजी नं. 3055, 3056, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3070, 3071, 3037, 3030, 3040, 3042, 3035, 3036 बने। तथा पैमाईश वालों ने नवीन जमाबन्दी मे वादीगण का नाम अंकित नही किया। तत्कालीन प्रतिवादीगण एवं मृत लेहरूदास का ही नाम अंकित हुआ। वादीगण को दिनांक 12.07.1996 एवं उसके आसपास जमाबन्दी की नकल लेने पर पटवारी हल्का द्वारा जानकारी दी गई। वाद हेतु दिनांक 12.07.1996 पैदा होकर निरन्तर जारी है। अनुतोष में वादीगण का नाम 1/2 हिस्से से सहखातेदारों के रूप में घोषित किया जाने तथा रेकार्ड का शुद्धि करने की मांग की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश पुरी ने अधिकार पत्र पेश किया। उपरोक्त वाद में तत्कालीन प्रतिवादीगण की मृत्यु हो जाने से पत्रावली नामकायमी एवं तामील में चलती रही एवं दिनांक 02.02.2012 को वादीगण द्वारा नाम कायमी अन्दर मियाद नही किये जाने से वाद पत्र अबेट कर खारिज कर दिया गया।

वादीगण द्वारा दिनांक 02.02.2012 को पारित निर्णय एवं डिक्री [illegible] वादीगण द्वारा राजस्व अपील अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.) के यहां प्रस्तुत की गई, श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 01.09.2012 को अपील स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को [illegible] की गई। प्रकरण दिनांक 05.11.2012 को पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी सं. [illegible] 10 जा.दी. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त आरा[illegible] ई है। इस कारण पक्षकार संयोजित करे। दिनांक 02.05.2013 को केतागण को पक्षकार संयोजित किया गया। एवं दिनांक 04.06.2013 को संशोधित वाद पेश किया।

प्रकरण में प्रतिवादी सं. 16, 17, 18, 19 एवं प्रतिवादी सं. 1, 2, 4, 5, ,6 7, 8,9, 11, 12, 15, एवं प्रतिवादी सं. 3, 10, 13, 14 के द्वारा अलग अलग जवाबदावा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि रतनदास

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2024.10.28 16:25:41 IST
Reason: SelfAttested

पिता किशनदास बैरागी निवासी सिंहपुर के कोई औलाद नही थी एवं बालकिशन चम्पादास भैरूदास के पिता केवलदास निवासी छापरी थे। केवलदास के 2 पत्नियां थी बडी पत्नी का लडका नन्ददास और छोटी पत्नी के बाल किशन, चम्पादास और भैरूदास थे। रतनदास ने बालकिशन को संवत् 1988 में गोद लिया उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात रतनदास पिता किशनदास वैष्णव निवासी सिंहपुर के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की थी। चम्पादास का विवादित आराजीयात से कोई हक हिस्सा नही है और ना ही रतनदास जी चम्पादास के पिता है। इसी कारण जमाबन्दी से चम्पादास का नाम हटाया गया। एवं बालकिशन रतनदास के गोदपुत्र होने से बालकिशन वारिसों का नाम सही अंकित किया गया। प्रतिवादी सं 1 से 15 में वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादी सं 16 से 19 को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया है। वादीगण को विक्रय पत्र शून्य कराने का कोई अधिकार नही है। मालियत वादपत्र का गलत अंकन किया गया है। वादपत्र निरस्त किये जाने योग्य है। प्रतिवादी सं. 16 से 19 ने विशेष कथन में अंकित किया कि वादीगण का मूल वाद दिनांक 30.07.1996 को पेश हुआ जो कि दिनाक 02.02.2012 को खारिज हो गया, तब प्रतिवादीगण ने विवादित आराजीयात प्रतिवादी सं. 16 से 19 को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया एवं राजस्व रेकार्ड खाते में दर्ज हो गया। श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी, चितौडगढ द्वारा दिनांक 02.02.2012 के आदेश को निरस्त करते हुए आदेश 22 नियम 4 जा. दी. के अनुसार विधिक वारिसान को अभिलेख पर लेने की अनुमति देते हुए अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रतिप्रेषित किया एवं बाद में वादीगण द्वारा वाद के तथ्यों को परिवर्तित करते हुए संशोधित वाद प्रस्तुत कर दिया एवं अनुतोष भी बदल दिया गया जिस कारण वादपत्र चलने योग्य नही है एवं विक्रयपत्र को सिविल न्यायालय से निरस्त किये बिना वादपत्र चलने योग्य नही है।

प्रतिवादी सं. 3, 10, 13, 14, द्वारा प्रस्तुत जवाब में उपरोक्त तथ्यों का वर्णन करते हुए यह भी अंकित किया कि वादीगण चालाक प्रवृति के व्यक्ति हैं वादीगण द्वारा पूर्व में एक दावा सं. 44/96 बअनवान मोहनदास बनाम माधुदास प्रस्तुत कर चम्पालाल का विरासती नामान्तरण संख्या 108 अपने नाम खुलवा लिया। उपरोक्त आदेश दिनांक 23.12.1996 की अपील प्रतिवादीगणों द्वारा श्रीमान् न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, चितौडगढ के यहां पेश की जिसका निर्णय दिनांक 23.07.1997 को प्रतिवादीगण के पक्ष में किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, कपासन के उक्त निर्णय व आज्ञप्ति दिनांक 23.12.1996 को निरस्त किया। उपरोक्त आदेश के आधार पर नामान्तरण संख्या 108 को निरस्त कर मोहनदास, श्यामदास व मु. जमनाबाई के नाम का अंकन जमाबन्दी से हटा दिया गया। जिसका अंकन जमाबन्दी संवत् 2052 में स्पष्ट रूप से रहा है। अंत में वाद पत्र वादीगण निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

दिनांक 26.02.2021 को तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई। दिनांक 25.02.2022 को वादीगण की ओर से तनकी को संशोधित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जो दिनांक 01.04.2022 को स्वीकार किया गया एवं संशोधित तनकीयात कायम की गई जो निम्न प्रकार है :

1. आया वादीगण द्वारा वादपत्र की चरण सं. 1 में वर्णित आराजी में 1/2 हक हिस्सा दर्ज कराने व खातेदार काश्तकार घोषित होने योग्य है ?

जिम्मे वादी

2. आया वादी विवादित आराजीयात के संबंध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकार है?

जिम्मे वादी

3. आया वादपत्र के कॉलम 1 में वर्णित आराजीयात, रतनदास पिता किशनदास की मौरूसी आराजीयात थी, रतनदास के औलाद नही होने से बालकिशन पुत्र केवलदास को गोद लिया गया उक्त आराजीयात बालकिशन गोदपुत्र होने से बालकिशन के वारिस के नाम से अंकित है।

जिम्मे प्रतिवादी

4. आया वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र रजिस्टर्ड विक्रयपत्र को चेलेन्ज करने से वादपत्र सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होने से राजस्व न्यायालय में चलने योग्य नही है ।

जिम्मे प्रतिवादी

5. आया वादपत्र की कलम सं. 1 में वर्णित आराजीयात प्रतिवादी द्वारा दिनांक 25.10.2012 को किये गये विक्रय पंजीयन में वादी अपने हक व हिस्से तक बेअसर व शून्य कराने का अधिकारी है।

जिम्मे वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2024.10.28 16:25:41 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में वर्तमान जमाबन्दी प्रदर्श 1, वादी के नाम की जमाबन्दी प्रदर्श 2, मिलान शीट प्रदर्श 3, दिनांक 04.10.2012 दैनिक भास्कर की असल प्रति आम सूचना प्रदर्श 4, आधार कार्ड की फोटो प्रति प्रदर्श 5–ए, साबिक जमाबन्दी संवत 2032–2035 प्रदर्श 6, जमाबन्दी संवत् 22.09.1979 प्रदर्श 7, जमाबन्दी संवत् 2032–2035 प्रदर्श 8, जमाबन्दी संवत् 2036–42 प्रदर्श 9, संवत् 2052–55 की जमाबन्दी प्रदर्श 10, शुद्धि पत्र दिनांक 06.10.1989 प्रदर्श 11, नामान्तरण की नकल प्रदर्श 12 नामान्तरण संख्या 655 प्रदर्श 13, निर्णय दिनांक 08.05.1990 मिसल सं. 33/1989 प्रदर्श 14, श्रीमान सम्भागीय आयुक्त का निर्णय दिनांक 01.02.1992 प्रदर्श 15, माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर का निर्णय प्रदर्श 16, दो विक्रयपत्र दिनांक 25.10.2012 प्रदर्श 17 व 18 पेश किये गये एवं मौखिक साक्ष्य में स्वयं वादी श्यामदास पीडब्ल्यू 1, गवाह गिरधारी जाट पीडब्ल्यू 2, गवाह दुर्गाशंकर शर्मा पीडब्ल्यू 3 के बयान लेखबद्ध कराये।

प्रतिवादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में मूल दावा प्रदर्श डी 1, जमाबन्दी संवत् 2009 से 2012 प्रदर्श डी 2, बन्दोबस्त मेवाड के खाता संख्या 406 की जमाबन्दी प्रदर्श डी 3 किता 5, मिलान खसरा प्रदर्श डी 4 किता 5, राव की पोथी प्रदर्श डी 5, फोटो प्रति प्रदर्श डी 5–ए, एवं हिन्दी अनुवाद जो इसी का भाग है, प्रस्तुत किये गये एवं मौखिक साक्ष्य में प्रतिवादी सुरेश दास डीडब्ल्यू 1 गवाह गोपाल लाल टेलर डीडब्ल्यू 2, गवाह रामस्वरूप महाजन डीडब्ल्यू 3 प्रतिवादी सं 16 प्रहलाद न्याती डीडब्ल्यू 4, गवाह रतनदास डीडब्ल्यू 5, गवाह देवीलाल राव डीडब्ल्यू 6 के बयान लेखबद्ध कराये गये।

वादीगण द्वारा समाज के राव द्वारा लिखी जाने वाली पोथी को प्रदर्श कराये जाने बाबत आपत्ति प्रस्तुत की जिसे बाद सुनवाई खारिज किया गया। साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात उक्त पक्ष के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 18.08.2023 को लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

हमने वादपत्र उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी। वकील वादीगण ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजीयात जमाबन्दी संवत् 2032–2035 में बालकिशन चम्पादास दोनों ही रतनदास के पुत्र थे। आराजीयात मौरूसी होने से वादीगण का 1/2 हिस्सा कानूनन हक व अधिकार बालकिशन की मृत्यु होने पर विरासती नामान्तरण के नाम खोला गया एवं जानबुझकर अथवा गलती से चम्पादास का नाम हटा दिया गया। जिसका शुद्धि पत्र भी भरा गया एवं चम्पादास की मृत्यु होने पर वादीगण के नाम का नामान्तरण खोला गया। परन्तु पेमाईश के बाद की जमाबन्दी में नाम दर्ज नही किया गया। इस कारण वाद प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त वाद अबेट में खारिज किया गया। जिसकी अपील की गई एवं प्रकरण पुनः रिमाण्ड होने से पूर्व ही आराजीयात प्रतिवादी सं. 16 से 19 को दिनांक 25.10.2012 को विक्रय कर दी जो विक्रयपत्र वादीगणों के हितों के मुकाबले शून्य है।

संवत् 2012 से पूर्व चंपादास जी का नाम नहीं होने से उनके अधिकार समाप्त नहीं होते है एवं बालकिशन बडे होने से उनका नाम पूर्व में दर्ज था एवं सवंत 2012 में चम्पादास का भी नाम दर्ज हो गया। इस कारण वादीगण का नाम गलत विलोपित किया जो वापस दर्ज किया जावे। पोथी की लिखावट न्यायालय नही पढ सकता इसलिये पोथी के आधार पर निर्णय पारित नही किया जा सकता। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की।

वकील प्रतिवादीगण ने जवाबदावा के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि रतनदास पिता किशनदास वैष्णव (बैरागी) निवासी सिंहपुर के कोई औलाद [illegible] निवासी केवलदास के पुत्र बालकिशन को गोद लिया एवं चम्पादास छोटे थे एवं नाबालिग [illegible] बडे भाई बालकिशन के साथ आये एवं मंदिर की सेवा में मदद करते एवं [illegible] 1 बिस्वा भूमि भी दी जो वर्तमान में वादीगण के नाम दर्ज है। उपरोक्त भूमि में बालकि[illegible] वारिसान का नाम दर्ज नही है। सिंहपुर गांव के प्रथम सेलटमेन्ट 2012 एवं द्वितीय [illegible] ने बडी चालाकी से प्रथम सेलटमेन्ट में अपना नाम बालकिशन के साथ दर्ज करवा [illegible] एवं द्वितीय सेटलमेन्ट के दौरान गडबडी का पता चलने पर पूरा नाम हटा दिया। जमाबन्दी प्रदर्श डी 2 में बालकिशन पिता रतनदास का ही नाम दर्ज है। उपरोक्त जमाबन्दी प्रथम सेटलमेन्ट से पूर्व की हे एवं राव जी की पोथी के अनुसार बालकिशन, रतनदास के गोदपुत्र है। वादी ने अपने बयान में यह स्वीकार किया कि राव हमारी वंशावली लिखते है वह राव बेणिपुरिया के ही है। इस प्रकार यह प्रमाणित है कि वादीगण प्रतिवादीगण के परिवार की

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2024.10.28 16:25:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

पत्रावली लिखी जाती है एवं गोद रखे जाने का कथन सत्य है। वकील वादी की ओर से न्यायिक दृष्टान्त आर आर टी 2023 (1) पेज 415, आर आर टी 2019 (1) पेज 202, 431 प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली है। अतः ये वादीगण का वादपत्र खारिज किये जाने की इस्दुआ की।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्क वितर्क पर मनन किया। प्रकरण में कायम तनकीयात उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूत के आधार पर निम्न प्रकार से निर्णित किये जाते है :–

तनकी नं. 1 – आया वादीगण द्वारा वादपत्र की चरण सं 1 में वर्णित आराजी में 1/2 हक हिस्सा दर्ज कराने व खातेदार काश्तकार घोषित होने योग्य है।

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 1 से प्रदर्श 18 का अवलोकन किया। वादीगण के पिता चम्पादास का नाम 2032–2035 की जमाबन्दी में बालकिशन के साथ दर्ज था एवं बालकिशन की मृत्यु होने पर जो विरासतीय नामान्तरण खोला गया उस समय चम्पादास का नाम हटा दिया गया। जिसका शुद्विपत्र भी भरा गया। प्रतिवादी गण द्वारा शुद्विपत्र आदेश की अपील भी की गई जो मान. न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर एवं मान. न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा निरस्त की गई। शुद्धि पत्र के आधार पर चम्पादास की मृत्यु हो जाने पर वादीगण के नाम नामान्तरण दर्ज किया गया परन्तु पैमाईश के दौरान वादीगण का नाम विलोपित हो गया। उपरोक्त नाम 1/2 हिस्से अनुसार दर्ज किये जाने हेतु उपरोक्त घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का संशोधित वादपत्र प्रस्तुत हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रथम सेटलमेन्ट से पूर्व की जमाबन्दी प्रदर्श डी 2 में बालकिशन पिता रतनदास का ही नाम दर्ज है। गवाह डीडब्ल्यू 1 सुरेशदास ने अपने बयान में लिखा कि उपरोक्त आराजीयात के अलावा गांव सिंहपुर में नृसिंह जी भगवान एवं गिरधारीजी का मंदिर स्थित है। दोनो ही मंदिरों के नाम डोली की जमीन है। उपरोक्त मेवाड बन्दोबस्त की जमाबंदी में कॉलम संख्या 3 में बालकिशन पिता केवलदास का नाम अंकित है। प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड मेवाड सेटलमेन्ट की जमाबन्दी प्रदर्श डी 3 में मिलान खसरा डी 4 एवं जमाबन्दी प्रदर्श डी 2 से न्यायालय के समक्ष यह तथ्य सामने आया है कि संवत् 2012 से पूर्व चम्पादास कही भी खातेदार अंकित नही था। वादी श्यामदास अपनी जिरह में जमाबन्दी प्रदर्श 6 में बालकिशन का नाम अंकित नहीं होना जाहिर करता है और उपरोक्त आराजीयात कहां से आयी इसकी भी कोई जानकारी नही होना बताता है। जिरह में इस तथ्य से भी अनभिज्ञता जाहीर की गई की चम्पादास, बालकिशन के साथ नाबालिग अवस्था मे सिंहपुर आये। गवाह पीडब्ल्यू 2 भी रतनदास को नही देखने का कथन करता है। पूर्व के राजस्व रेकार्ड की भी कोई जानकारी नही रखता है। गवाह पीडब्ल्यू 3 ने भी किसी प्रकार की जानकारी नही होना जाहिर किया है। मात्र कब्जा श्यामदास का होना कथन किया है। गवाह डीडब्ल्यू 1 ने भी पूर्व में हो रही कार्यवाहियों व राजस्व रेकार्ड के बारे मे जानकारी नही होने का कथन किया है। परन्तु वादीगण की ओर से प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज पर कोई जिरह नही की गई। इस कारण उपरोक्त दस्तोवज को अस्वीकार करने का कोई कारण उत्पन्न नहीं होता है। गवाह डीडब्ल्यू 2 भी वाद के संबध में कोई जानकारी नही रखता है। डीडब्ल्यू 3 द्वारा कब्जा नहीं होने का कथन किया है एवं अन्य जानकारी नही होना बताया है। गवाह डब्ल्यू 4 जो कि केता है वह रजिस्ट्री की दिनांक, गवाह के बारे में जानकारी नही रखता है। गवाह द्वारा मुख्य कथन के रूप में शपथ पत्र प्रस्तुत किया उसके बारे में भी वादीगण की ओर से कोई जिरह नही की गई। डीडब्ल्यू 5 रतनदास ने कथन किया कि मैं 10 गांवो का वैष्णव समाज का राव हूं। मैं पोथी की भाषा समझता हूं। [illegible] द्वारा करवाया गया। जो पोथी के अनुसार सही है एवं पोथी में लिखा है कि सिंहपुर गांव के नि[illegible] रत[illegible] के कोई औलाद नही होने से उन्होने छापरी निवासी केवलदास के पुत्र को [illegible] वह पोथी की भाषा नही समझते है इसलिये वे लिखने व पढने [illegible] मुझे बुलाते है। जि[illegible] पोथी पर किसी तरह के हस्ताक्षर नही किये जाने का कथन किया एवं गोद [illegible] कथन किया। गवाह डीडब्ल्यू 6 देवीलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन [illegible] प्रस्तुत की गई वह मेरे दादाजी भूराजी द्वारा लिखी गई। उसकी मृत्यु के बाद मेरे पिताजी चतरा जी भी यह कार्य करते थे एवं उनकी मृत्यु के बाद पोथी मेरे पास रहती है परन्तु पोथी की भाषा पढना व लिखना नही जानता हूं। इस कारण मंदारिया मंडल के रावजी रतनदास जी को बुलाता हूं। प्रस्तुत पोथी का हिन्दी अनुवाद भी रतनदास जी द्वारा किया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2024.10.28 16:25:41 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली में मौजूद रावजी की पोथी एवं गवाह डीब्ल्यू 5 एवं 5 व 6 के बयान से यह तथ्य सामने आया है कि बालकिशन को रतनदास द्वारा कोई औलाद नही होने से गोद लिया गया। वादी श्यामदास ने अपने जिरह में यह तथ्य स्वीकार किया कि हमारे समाज के राव होते है जो समाज व परिवार की वंशावली लिखते है और वह राव बेणीपुरिया के रहने वाले है। डीडब्ल्यू 5 व डी डब्ल्यू 6 से इस बात को लेकर जिरह नही हुई कि आपके द्वारा वादीगण व प्रतिवादी गण के परिवार के बारे में पोथी में नही लिखा। मिलान खसरा प्रदर्श डी 3 में बालकिशन के पिता का नाम केवलदास दर्ज है। जबकि श्यामदास ने अपने बयान में चम्पादास को रतनदास का पुत्र होने एवं आराजीयात रतनदास की होने का कथन किया है। इन सभी तथ्यों से यह प्रमाणित पाया जाता है कि बालकिशन रतनदास के गोदपुत्र है एवं चम्पादास का नाम प्रथम सेटलमेन्ट के दौरान दर्ज हो गया। घोषणा के वाद में सभी तथ्यों को मध्येनजर रखते हुए वाद का निस्तारण करना होता है। सम्पूर्ण तथ्यों के अवलोकन से यह सिद्ध होता है कि 1– चम्पादास रतनदास के पुत्र नही होने से अपना 1/2 हिस्सा घोषित कराने का अधिकारी नही है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी वादी साबित कराने असफल रहा है। जिससे उक्त तनकी विरूद्ध वादीगण बहक प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 2 – आया वादी विवादित आराजीयात के संबंध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है।

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था चूंकि तनकी संख्या 1 विरूद्ध वादी निर्णित की गई। इस कारण वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। उपरोक्त तनकी भी विरूद्ध वादीगण बहक प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 3 – आया वादपत्र के कलम सं. 1 में वर्णित आराजीयात रतनदास पिता किशनदास की मौरूसी आराजीयात थी, रतनदास के औलाद नही होने से बालकिशन पिता केवलदास को गोद रखा। उक्त आराजीयात बालकिशन गोदपुत्र होने से बालकिशन के वारिसों के सही नाम अंकित है।

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण के जिम्मे था। विवादित आराजीयात रतनदासजी की होने का कथन वादीगण एवं प्रतिवादीगण दोनो के ही द्वारा किया गया है। इस कारण आराजीयात रतनदास जी की होने संबंधित कोई विवाद नही है एवं बालकिशन रतनदासजी के गोदपुत्र है। इसका विश्लेषण समग्र रूप से तनकी संख्या 1 में हो चुका है। इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर उक्त तनकी प्रतिवादीगण साबित कराने में सफल रहा है जिससे उक्त तनकी बहक प्रतिवादीगण विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 4 – आया वादी द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड विक्रयपत्र को चेलेन्ज करने से वादपत्र सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होने से राजस्व न्यायालय में चलने योग्य नही है।

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण के जिम्मे था। आज दिनांक तक पंजीकृत विक्रय विलेख को निरस्त कराने हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही की जाने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है एवं तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में निर्णित नहीं होने से तथा प्रस्तुत वाद घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है जो धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत राजस्व न्यायालय के क्षैत्राधिकार का है। इस प्रकार उपरोक्त तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 5 – आया वादपत्र की कलम संख्या [illegible] में वर्णित आराजीयात में प्रतिवादीगण द्वारा 25.10.2012 के रजिस्टर्ड पंजीयन में वादी अपने हक व हिस्से त[illegible] व शून्य कराने का अधिकारी है।

इस तनकी को साबित करने का भार वाद[illegible] था। तनकी सं[illegible] विरूद्ध वादीगण बहक प्रतिवादीगण निर्णित होने से वादीगण विक्रयपत्र दि[illegible] हिस्से तक शून्य व बेअसर कराने के अधिकारी नही है। इस प्रकार उपरो[illegible] बहक प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2024.10.28 16:25:41 IST
Reason: SelfAttested

6– दादरसी –

वादीगण अपने जिम्मे की तनकी सं. 1, 2 व 5 को साबित कराने में असफल रहा जबकि प्रतिवादीगण अपने जिम्मे की तनकी संख्या 3 को साबित कराने में सफल रहे है। इस कारण वादीगण द्वारा प्रस्तुत घोषणा,

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित नहीं होने से वादीगण किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में वर्णित तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्य सामग्री दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। चूंकि वादीगण तनकी संख्या 1 को अपने पक्ष में साबित नहीं करा पाऐ है एवं न ही पंजीकृत विकय विलेख को सक्षम सिविल न्यायालय में प्रस्तुत कर चाराजोही ही की है, वादीगण के द्वारा उक्त पंजीकृत विकय विलेख को किसी स्तर पर चुनौती देने का हवाला या सूचना पत्रावली पर नहीं दी गई है। उक्त पंजीकृत विकय विलेख के विरूद्ध जब तक सक्षम न्यायालय से निर्णय नहीं दिया जाता है तब तक वादीगण इस न्यायालय से सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। चम्पादास स्वयं को रतनदास का पुत्र होना साबित नहीं करा पाया है एवं न ही ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत वाद पर उपलब्ध है जिससे चम्पादास, रतनदास का पुत्र होना साबित हो। प्रदर्श 12 नामान्तरण दिनांक 30.11.1988 के पृष्ठांकन में जिस सर्टिफिकेट का हवाला दिया गया है, उसके संबंध में कोई लिखित/दस्तावेजी/साक्ष्य पेश नहीं किया है। दिनांक 25.10.2012 को निष्पादित पंजीकृत विकय विलेख जिसका कि नामान्तरण संख्या 1173 व 1174 दिनांक 29.10.2012 केतागण के नाम पर खोला गया, उक्त नामान्तरण को वादीगण के द्वारा किसी भी स्तर पर चुनौती नहीं दी गई एवं न ही इस संबंध में कोई वाद किसी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया एवं न ही इस संबंध में कोई सूचना पत्रावली पर दी गई है। वादीगण के द्वारा केवलमात्र राजस्व रिकार्ड में जरिये शुद्धाशुद्धी से नाम आ जाने से भूमि पर अधिकार/स्वामित्व को साबित नहीं करता है, तथापि कि उक्त हटाया गया नाम आदिनांक तक राजस्व रिकार्ड में नहीं है। वादीगण द्वारा वाद के संलग्न दस्तावेजों से, वादीगण के शपथ–पत्र, उक्त दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के शपथ–पत्र व वकील उभय की बहस के आधार पर वादीगण का वाद अंर्तगत धारा–88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का प्रमाणित नहीं पाया जाने के कारण अस्वीकार किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिकी पृथक से जारी हो।

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2024.10.28 16:25:41 IST
Reason: SelfAttested